प्रकरण संख्या 30/2018 तहसीलदार गोगुन्दा बनाम श्रीमती इन्द्राबाई व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.10.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा काछवा में आराजी नंबर 1591 से 1599 कुल किता 8 रकबा 0.7950 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वादी को आवंटित हुई थी तथा उनका कब्जा चला आ रहा था, किन्तु वर्तमान में भूमि चारागाह दर्ज होने से वादीगण उक्त भूमि के विकास हेतु ऋण नहीं ले पा रहे हैं। अतः वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर अपने दिनांक 15.07.2015 से वादी का वाद स्वीकार कर उन्हें विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 26.03.2018 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा देरी के कारणों को स्पष्ट करते हुए दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन सशपथ प्रस्तुत किया गया, जिसके खण्डन का कोई जवाब रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन सशपथ प्रस्तुत कर उसके साथ जमाबन्दियों एवं न्यायालय निर्णय व मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत कर न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया गया। उक्त आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन	

किया गया तो यह पाया कि प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात राजस्व न्यायालय की प्रमाणित प्रतियां हैं। अतः न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में चारागाह दर्ज है, जिसे राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी को भी आवंटित अथवा नियमन नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.07.2015 को पत्रावली राजस्व कैम्प में पेश हुई एवं उसी दिन उसे दर्ज किया जाकर अपीलान्ट को बिना सूचना दिये वादीगण का वाद डिक्री कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने से अपास्त किया जावे।

हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली दिनांक 15.07.2015 को राजस्व कैम्प में पेश हुई एवं अधिनस्थ न्यायालय उसी दिन उसे दर्ज रजिस्टर कर बिना अपीलान्ट/प्रतिवादी को कोई सूचना दिये वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी का जवाब लेकर एवं उन्हें साक्ष्य सबूत का पर्याप्त अवसर देकर तथा सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.12.2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 30/2018 तहसीलदार गोगुन्दा बनाम श्रीमती इन्द्राबाई व अन्य

प्रकरण संख्या 30/2018 तहसीलदार गोगुन्दा बनाम श्रीमती इन्द्राबाई व अन्य